"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 फरवरी 2006—फाल्गुन 4, शक 1927

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 4, 1927)

क्रमांक-2807/विधान/2006.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2006), जो दिनांक 23 फरवरी, 2006 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जावेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा-3 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

3. (1) "वार्षिक लक्ष्य - राज्य सरकार 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को कम करने के समुचित उपाय करेगी. राज्य वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नाममात्र राजस्व अधिशेष बनाये रखने का सभी प्रयास करेगी, परन्तु किसी भी परिस्थिति में राज्य निम्नानुसार राजस्व घाटे को अधिक नहीं बढ़ायेगी -

2005-06	-	रुपये 253.20 करोड़
2006-07	-	रुपये 168.80 करोड़
2007-08	-	रुपये 84.40 करोड़
2008-09 एवं आगे	-	रुपये शून्य राजस्व घाटा

(2) राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष 2004-05 के वास्तविक वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत का जितना हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक है, उसका कम से कम एक चौथाई राशि तक वित्तीय घाटा कम करेगी ताकि वित्तीय घाटा मार्च, 2009 के अंत तक जी. एस. डी. पी. के. 3 प्रतिशत से अनधिक तक लाया जा सके.

(3) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए नई गारंटी सामान्य शर्तों पर सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत अथवा जोखिम भारित आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो कि सीमा से अधिक की नहीं देगी.

(4) राज्य सरकार वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ऋण समेकन और राहत योजना तथा ऋण अपलेखन योजना का लाभ राज्य सरकार को देने के लिए केन्द्र द्वारा दिये गये दिशानिर्देश तथा राजकोषीय तथा बजट प्रबंधन का अधिकतम नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2006 पुर:स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 14 फरवरी, 2006

अमर अग्रवाल
वित्त मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) का सुसंगत उद्धरण

* *

राजकोषीय प्रबंध सिद्धांत. 3. (1) राज्य सरकार राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा कम करने के समुचित उपाय करेगी जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च, 2009 तक दूर हो जाए तथा राजकोषीय घाटा को 31 मार्च, 2009 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक नीचे लाया जा सके.

(2) राज्य सरकार इसके द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी -

(अ) इस अधिनियम के प्रारंभ होने तथा 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा के कमी के लिए वार्षिक लक्ष्य,

(ब) समाश्रित दायित्व के रूप में प्रत्याभूति तथा कुल दायित्वों के जीएसडीपी के प्रतिशत का वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण.

परन्तु आंतरिक व्यवधान अथवा प्राकृतिक आपदाओं या कोई ऐसा विशिष्ट आधार जिसे राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्यधीन बढ़ सकेगा.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.